मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा, भाजपा में शामिल

भोपाल, 17 जुलाई (भाषा)।

मध्यप्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस को शुक्रवार को एक और झटका तब लगा जब बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस की महिला विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र सौंप दिया।

विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'महिला विधायक ने आज दोपहर विधानसभा के अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है।' त्यागपत्र का कारण जानने के लिए विधायक सुमित्रा देवी से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे। इसके बाद सुमित्रा देवी देर शाम को भाजपा में शामिल हो गई। विधानसभा के अस्थयी अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कहा, 'मैंने नेपानगर की विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मैंने उन्हें इस पर सोचने का समय देने का कहा था, लेकिन सुमित्रा देवी ने इसे स्वीकार करने के लिए जोर दिया।'

सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले बड़ा मलाहरा सीट से कांग्रेस के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। लोधी, भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती के संपर्क में थे। इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही प्रदेश सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

इसके भी पहले मार्च माह में 22 कांगेस के विधायक बागी हो त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से अधिकांश सिंधिया समर्थक हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 15 माह पुरानी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार बनी।

लोधी और सुमित्रा देवी के त्यागपत्र के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की ताकत घटकर 90 रह गई है। इसके प्रकार कुल 24 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने और दो विधायकों की निधन के कारण विधानसभा में वर्तमान में 26 सीटें रिक्त हो गई हैं और विधानसभा की प्रभावी संख्या 204 हो गई है।इसमें भाजपा के 107 विधायक हैं जबकि चार निर्दलीय, दो बसपा और एक सपा का विधायक हैं।

कोरोना के मामले 10 अगस्त तक 20 लाख के पार हो जाएंगे : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक हो जाने को लेकर शुक्रवार को कहा कि अगर कोविड-19 इसी तेजी से फैला तो 10 अगस्त तक संक्रमण के मामले 20 लाख के पार चले जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि इस महामारी को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। (**भाषा**)

सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी को सात दिन की एनआइए हिरासत में भेजा

कोच्चि, 17 जुलाई (भाषा)।

सनसनीखेज केरल सोना तस्करी मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी को शुक्रवार को सात दिन के लिए एनआइए की हिरासत में भेज दिया। जांच एजंसी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करते हुए एनआइए की विशेष अदालत ने केरल में यूएई वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी सरिथ पी एस को हिरासत में भेजा।

हाल में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 'राजनयिक सामान' से लगभग 15 करोड़ रुपए का सोना जब्त होने के सिलसिले में पिछले सप्ताह सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय ने सरिथ को गिरफ्तार किया था। वह 15 जुलाई तक सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय की हिरासत में था।

एनआइए की हिरासत में दो अन्य आरोपियों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की मौजूदगी में सरिथ से पूछताछ की जाएगी। एनआइए ने सरिथ को हिरासत में दिए जाने का अनुरोध करते हुए अपने आवेदन में कहा था कि वह मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है।

इस बीच, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय ने शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि खाड़ी के व्यवसायी फैजल फरीद के पैतृक निवास पर छापा मारा गया। मामले में एनआइए द्वारा फरीद को भी आरोपी बनाया गया है।

बाबरी प्रकरण : पांडेय को घोषित अपराधी करार देने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश

लखनऊ, 17 जुलाई (भाषा)।

सीबीआइ की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आरोपी ओम प्रकाश पांडेय को घोषित अपराधी करार देने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश शुक्रवार को दिया।

इस घोषणा के बाद आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू होगी। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पाण्डेय के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया था क्योंकि सीआरपीसी की धारा-313 के तहत उनका बयान दर्ज करना आवश्यक है। गैर जमानती वारंट हालांकि दोनों बार पांडेय की ओर से रिसीव नहीं किया गया और वापस आ गया।

मुंबई में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या नौ हुई

मुंबई, 17 जुलाई (भाषा)।

मुंबई के फोर्ट इलाके में इमारत ढह जाने की घटना में मरने वालों की संख्या नौ हो गई है। इस घटना में 17 वर्षीय किशोरी ने शुक्रवार को जेजे अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे में दो महिलाओं समेत सात लोगों की बृहस्पतिवार आधी से अभी तक मौत हो चुकी है। दक्षिण मुंबई में दुर्घटनास्थल पर तलाश एवं बचाव अभियान जारी है। दरअसल, फोर्ट इलाके में छह मंजिली इमारत भानुशाली का एक हिस्सा बृहस्पतिवार को धंस गया था, जिससे दो व्यक्ति की तत्काल जान चली गई थी।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि तीन और व्यक्तियों को बृहस्पतिवार आधी रात को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था, जिन्हें दुर्घटनास्थल पर मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया था। इसी के साथ ही 62 साल की एक महिला की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार इस वृद्ध महिला को मलबे से निकालकर जेजे अस्पताल ले जाया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

बिहार में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा

सुनिश्चित करें कि चुनाव संक्रमित करने वाला कार्यक्रम न बने

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

बिहार की कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मतदाताओं को इस बारे में आश्वस्त करने को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलाने वाला कार्यक्रम नहीं बनेगा।

विपक्षी दलों ने शुक्रवार शाम आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी ऑनलाइन बैठक से पहले चुनाव आयोग को एक ज्ञापन देकर राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

ज्ञापन में कहा गया है, 'कोविड-19 महामारी से राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजधानी पटना में करीब 89 निरूद्ध क्षेत्र हैं और 16 से अधिक जिलों में 16 जुलाई से और 15 दिनों के लिए पूर्णबंदी लागू किया गया है।' राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) ने हैरानी जताते हुए कहा है कि करीब 13 करोड़ की आबादी और 7.5 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में चुनाव आयोग लोगों के बीच कम से कम छह फुट की दूरी कैसे सुनिश्चित करेगा।

ज्ञापन में कहा गया है, 'लोग पूरी तरह से स्पष्टता चाहते हैं ताकि अधिकतम संख्या में मतदाताओं की भागीदारी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो। लोग आयोग से यह उम्मीद भी करते हैं कि वह लोगों को इस बारे में आश्वस्त करेगा कि समूची चुनाव प्रक्रिया बड़े पैमाने पर लोगों को (कोविड-19 से) संक्रमित करने वाला कार्यक्रम नहीं बनेगा।'

भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त कोरोना संक्रमित

भागलपुर, 17 जुलाई (जनसत्ता)।

भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। भागलपुर जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ गौरव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। शुक्रवार को 901 लोगों की आई पॉजिटिव रिपोर्ट में कमिश्नर की भी रिपोर्ट है।

स्वास्थ्य महकमा के मुताबिक बिहार में बीते 24 घंटे में 1742 मामले नए आए हैं। इस हिसाब से कुल संक्रमितों की संख्या 23300 हो चुकी है। 167 लोगों की मौत हुई है। स्वस्थ होकर घर जाने वाले अब तक 14101 हैं।

भागलपुर में जिला प्रशासन के तमाम आलाधिकारी एकांतवास होकर इलाजरत हैं। जिलाधीश प्रणव कुमार का इलाज पटना में चल रहा है। उनकी पत्नी और बच्चे भी संक्रमित है। इसके अलावे एडीएम, डीडीसी, डीपीएम, साथ ही अन्य अधिकारी और कर्मचारी का इलाज विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। नतीजतन, रोजमर्रे का काम भी प्रभावित हो गया है। दो दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी संक्रमित हैं।

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड
मांग सूचना प्रकाशन
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

1) मै. ईश्वर चन्द एग्रो प्राईवेट लिमिटेड (ऋणधारक) प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉपाईट श्री ईश्वर चन्द त्यागी, खसरा नं. 693-694, ग्राम एवं पोस्ट मोर्टा गाजियाबाद (उ.प्र.)-201003, 2) ईश्वर चंद त्यागी (सह-ऋणधारक/मार्टगैजर) द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारी, केसी-105, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001, साथ हीं प्लॉट नं. 2, ग्राम मोर्टा, खसरा नं. 1193, परगणा जलालाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 3) राज कुमारी (सह-ऋणधारक) केसी-105, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 को स्पीड पोस्ट द्वारा 10.06.2020 को भेजी गई।

विषयः इन्टेक कैपिटल लिमिटेड, 708, मंजूशा बिल्डिंग, 59, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में ऋण खाता सं. LNGHA03415-160005584 तिथि 31.07.2015

आप ने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा 31.5.2020 को रु. 2,30,70,182/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख सत्तर हजार एक सौ बयासी मात्र) बकाया है। अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत इन्टेक कैपिटल ने 10.06.2020 को सूचना जारी कर आपको 31.5.2020 को रु. 2,30,70,182/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख सत्तर हजार एक सौ बयासी मात्र) की बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि रु. 2,30,70,182/-(रुपये दो करोड़ तीस लाख सत्तर हजार एक सौ बयासी मात्र) की राशि के इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें अन्यथा इन्टेक कैपिटल लिमिटेड अनुसूची में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यह सूचना इन्टेक कैपिटल लिमिटेड को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

अनुसूचीः परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित निर्मित है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः गिरवी परिसम्पत्तियांः ग्राम मोर्टा, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद में सम्पत्ति सं. 2 (माप 510 वर्ग यार्ड्स), खसरा नं. 1193 में तथा उस पर विद्यमान तथा भविष्य के निर्माण भवन।

तिथिः 10.07.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — इन्टेक कैपिटल लि. के लिये

न्यू लाइट एप्पैरल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः जीसी-29, बेसमेंट, शिवाजी एन्कलेव, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027
Landline: (91)-11-45613885 . CIN: L74899L1995PLC064005
Web.: http://www.newlightapparels.com . E-Mail: newlight.apparels@gmail.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 24 जुलाई, 2020 को 3.00 बजे अप. में जी-सी-29, बेस्मेन्ट, शिवाजी एन्कलेव, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे अधोलिखित पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगेः
क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त चौथी तिमाही तथा वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणाम
ख) 30 जून, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही तथा तीन माह के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणाम
पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुसार कम्पनी का ट्रेडिंग विण्डो वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद खुलेगा।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.newlightapparels.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगा।

बोर्ड के आदेश से
न्यू लाइट एप्पैरल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथिः 17 जुलाई, 2020 — संदीप मक्कड़
स्थानः नई दिल्ली — प्रबन्ध निदेशक एवं अनुपालन अधिकारी

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA 7वां तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22 नव. 2019 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋण खाता सं. 6314829, 5528649 एवं 6314535	कब्जा की तिथिः 14 जुलाई, 2020
देनदार सांविधिक उत्तराधिकारी/सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नामः 1. अनुराग नागपाल, ई-71, ब्लॉक-ई, कीर्तिनगर, नई दिल्ली-110015, 2. मोनेट नागपाल, ई-71, ब्लॉक-ई, कीर्तिनगर, नई दिल्ली-110015, 3. मै. केवीएम स्टील (पी) लिमिटेड, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक अनुराग नागपाल, वाई-153, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली-110028 एवं 4. मै. केवीएम स्टील (पी) लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक मोनेट नागपाल, वाई-153, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली-110028	
तिथि को राशिः 22 नवम्बर, 2019 को रु. 2,40,54,290.64/- (रुपये दो करोड़ चालिस लाख चौवन हजार दो सौ नब्बे तथा पैसे चौंसठ मात्र)	
प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः सम्पत्ति 1: उसके सभी अधिकारों तथा टाईटल के साथ सभी सामूहिक सुविधाओं से युक्त सीढ़ियों तथा पैसेज के सामूहिक अधिकार के साथ स्टिल्ट/पार्किंग तल पर अविभाजित 1/4 आनुपातिक शेयर/अधिकार के साथ उक्त भवन के नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित तथा इम्पार्टिबल स्वामित्व के अधिकारों के साथ दिल्ली नगर निगम के भीतर ग्राम बसई दारपुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली की आवासीय कॉलोनी मानसरोवर गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी में स्थित मकान सं. सी-3/20, सम्पूर्ण ऊपरी भू तल, बिना छत/टैरेस के अधिकार के, माप 30 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 2304 का भाग (पंजी.) बिक्री प्रलेख सं. 20078 तिथि 10 अक्टूबर, 2013 में विस्तृत विवरण उल्लिखित) तथा चौहद्दीः उत्तरः मानसरोवर गार्डन कॉलोनी का बाउण्ड्री, दक्षिणः रोड, पूर्वः रोड तथा पश्चिमः सम्पत्ति सं. सी-3/20 सम्पत्ति सं. 2: उसके सभी अधिकारों तथा टाईटल के साथ सभी सामूहिक सुविधाओं से युक्त सीढ़ियों तथा पैसेज के सामूहिक अधिकार के साथ स्टिल्ट/पार्किंग तल पर अविभाजित 1/4 आनुपातिक शेयर/अधिकार के साथ उक्त भवन के नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित तथा इम्पार्टिबल स्वामित्व के अधिकारों के साथ दिल्ली नगर निगम के भीतर ग्राम बसई दारपुर, दिल्ली राज्य में रजौरी गार्डन में स्थित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. सी-3/20 का निर्मित सम्पूर्ण ऊपरी भू तल, बिना छत/टैरेस के अधिकार के, माप 197 वर्ग यार्ड्स (पंजी. बिक्री प्रलेख सं. 20050, तिथि 10 अक्टूबर, 2013 में विशेष रूप से उल्लिखित) तथा चौहद्दीः उत्तरः अन्य भूमि, दक्षिणः रोड, पूर्वः अन्य भूमि तथा पश्चिमः सम्पत्ति सं. सी-3/21 सम्पत्ति सं. 3: डब्ल्यूएचएस नारायणा, लोहा मंडी, नई दिल्ली के ले आउट प्लान में स्थित ब्लॉक-वाई में प्लॉट नं. 153, एरिया माप 92 वर्ग यार्ड्स (विस्तृत विवरण 6.7.2016 को पंजीकृत बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 5970, पेज नं. 122-125 में दस्तावेज सं. 10009 में उल्लिखित)। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 152, पूर्वः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 154, पश्चिमः रोड।	

तिथिः 18.7.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED
CIN: L35911HR1965PLC004485
Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana
Corporate Office: 2, Pak Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Telephone: +91 11 26893331, **Fax:** +91 11 26893180
Website: www.jaispring.com.

NOTICE

Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2012-13 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Shareholders are hereby informed that pursuant to Section 124(5) & 124 (6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 5 & 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016,("The Rules"),the company is mandatorily required to transfer the dividends which remained unclaimed or unpaid for a period of seven year, to Investor Education and Protection Fund (IEPF) establishes by the Central Government.

The Company is also required to transfer all such shares in respect of which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to IEPF Demat Account. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to IEPF.

Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF
Unclaimed Dividend FY 2012-13 (Final)	October 21, 2020

The details of unclaimed or unpaid dividends can be assessed on Company's website viz. www.jaispring.com and shareholder can claim their pending dividend(s) before transfer of unclaimed dividend amount to IEPF. If you have not claimed your dividends for last seven consecutive years and the amount(s) are lying unpaid/ unclaimed against your folio/demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email:
(I) A formal letter duly signed by all the joint holders, if any
(ii) Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and
(iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.
You are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will transfer the shares to the IEPF Demat Account by the aforesaid due date without any further notice.
It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account.
Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Demat Account, you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount(s) and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available on the website i.e. www. iepf.gov.in.
Individual Notice in this regard have been sent to the concerned shareholders on June 17, 2020 at their respective address registered with the Company. In case of any queries on the subject matter, shareholders may write to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following addresses so that it should reach on or before October 10, 2020:

To Company	To Registrar & Share Transfer Agent
Jamna Auto Industries Limited 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070, India Contact No. – 011-26893331 Email – investor.relations@jaispring.com	**Skyline Financial Services Private Limited** D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 Ph. No.: 011-40450193-97 Email: parveen@skylinerta.com; grievances@skylinerta.com Contact Person: Mr. Parveen Sharma

For Jamna Auto Industries Ltd
Sd/-
Place: New Delhi — **Praveen Lakhera**
Date: July 17, 2020 — **Company Secretary & Head-Legal**

कंपनी सूचना
श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड
पजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
CIN : L29112DL1963PLC004084; PAN : AAACS0229G
फोन : 011 23315941, फैक्स : 011 23311203
E-Mail : compliance.officer@shrirampistons.com, Website : www.shrirampistons.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :
1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 के ("एमसीए" परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक ("56वीं एजीएम") एजीएम नोटिस में यथा निर्धारित कार्य के संचालन हेतु मंगलवार, 11 अगस्त, 2020 को शाय 5.00 बजे (भामास) वीडियो क्रान्फ्रेंसिग/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. एमसीए और सेबी के परिपत्रें के संबंध में, 56वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के सहित वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल उन शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। एजीएम सूचना व वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति की आवश्यकता उक्त परिपत्रों के तहत समाप्त की जा चुकी है।
3. जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं की हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी जल्द से जल्द उपलब्ध कराऐं ताकि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा सके। ई-मेल आईडी अपडेट कराने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-
   i) **भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य** आवश्यक विवरण अर्थात् (ए) फोलियो नंबर (बी) शेयरधारक का नाम (सी) शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैनड प्रति (डी) पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैनड प्रति (ई) आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैनड प्रति ई-मेल **compliance.officer@shrirampistons.com.** पर भेजकर कंपनी के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं।
   ii) **डिमेट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य** (ए) डिमेट खाता संख्या (सीडीएसएल-16 अंकीय लाभार्थी आईडी या एनएडीएल-16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी) (बी) शेयरधारक का नाम (सी) क्लाइंट मास्टर की स्व सत्यापित स्कैनड प्रति या समग्र खाते के विवरण की प्रति (डी) पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैनड प्रति (ई) आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैनड प्रति ई-मेल **compliance.officer@shrirampistons.com** पर भेज सकते हैं।
   iii) कंपनी ने उक्त वर्णित शेयरधारकों को लॉगिन विवरण प्रदाने करने के लिए सीडीएसएल के साथ समन्वय किया है।
4. एजीएम नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट इनवेस्टर दिशा-निर्देश के तहत कंपनी की वेबसाइट **www.shrirampistons.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है। एजीएम सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा व रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।
5. कट-ऑफ-डेट अर्थात् 4 अगस्त, 2020 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. ("सीडीएसएल") के इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से सूचना में दिए गए साधारण व विशेष व्यापार पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं।
6. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
   i) एजीएम नोटिस में वर्णित साधारण व विशेष व्यापार. इलैक्ट्रानिक माध्यमों से वोटिंग के द्वारा किए जाएंगे।
   ii) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार, 08.08.2020 (सुबह 10.00 बजे) से सोमवार, 10.08.2020 (शाम 5.00 बजे) से तक खुली रहेंगी जिसके दौरान रिकॉर्ड डेट (डिमेट या भौतिक फॉर्म में) शेयर रखने वाले सदस्य अपने वोट डाल सकते हैं। सोमवार, 10.08.2020 को शाम 5.00 बजे के बाद वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल इसके बाद वोटिंग किए जाने के लिए सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे।
   iii) वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा) करने के अधिकार कट-ऑफ-डेट (अर्थात् 04.08.2020) तक शेयर रखने वाले सदस्यों को ही दिए जाएंगे। कट-ऑफ-डेट तक सदस्य न बनने वाले सदस्य इस एजीएम सूचना को केवल जानकारी के रूप में देखें।
   iv) जिस व्यक्ति के पास कंपनी के शेयर हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ-डेट अर्थात् 04.08.2020 तक शेयर रखता है, वह **helpdesk.evoting@cdslindia.com** और **deepakjuneja111@gmail.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
   v) यदि आपके पास डिमेट फॉर्म में शेयर हैं और **www.evotingindia.com** पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पहले ही वोट कर चुके हैं, तो मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
   vi) शेयरधारक द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद, वह अपने वोट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है।
   vii) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले और रिमोट ई-वोटिंग से प्रस्तावों पर अपने वोट न डालने वाले और जो वोट डालने के पात्र हैं, केवल वही शेयरधारक एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के योग्य होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट डाल चुके शेयरधारक एजीएम में उपस्थित होने के योग्य होंगे। हालांकि वे एजीएम में वोट डालने के योग्य नहीं होंगे।
   viii) एजीएम में उपस्थित होने और ई-वोटिंग सिस्टम के संबंध में किसी पूछताछ या समस्या होने पर, आप हैल्प सेक्शन के अंतर्गत त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूज") और ई-वोटिंग नियमावली जो कि www.evotingindia.com पर उपलब्ध है, का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें या श्री नितिन कुंदर (022- 23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) को संपर्क करें।
   ix) इलेक्ट्रानिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथॉन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लॉअर परेल (ईस्ट), मुंबई- 400013 या ई-मेल भेजें helpdesk.evoting@cdslindia.com या 022-23058542/43 पर कॉल करें।
7. एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएं 05.08.2020 से 11.08.2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

**